

ARBIT



What Trump's Apple Threat Means for India...

Apple and India have invested years and billions of dollars in teaming up against China. India sees it as a strength. To President Trump, it looks like leverage

Hindu Who Destroyed Temples

What Makes Some Words Funny?

epaper.rashtradoot.com

‘चाहे आप रिटायर हो जाएं या घर बैठ जाएं, हम आपको बख्शेंगे नहीं’

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को सार्वजनिक धमकी दी

‘अन्य देशों को अब अमेरिका की महँगाई का भार वहन करना पड़ेगा’

ट्रंप का दावा काफी गलत साबित हुआ
टैरिफ बढ़ाने के बारे में

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1, अगस्त। एक तीखे बयान में, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह भाजपा के लिए वोट चुरा रहा है।
इसे देशद्रोह करार देते हुए, राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई जांच और सामने आए खुलासे एक “परमाणु बम” की तरह फटेंगे और इन धमकों के असर में चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।
इसी के साथ, उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह चेतावनी जारी की कि चुनाव आयोग में ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी भाजपा के लिए वोट चोरी में शामिल पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह देश के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के समान है। उन्होंने कहा, “आप कहीं भी हों, सेवानिवृत्त हों या न हों, हम आपको दूँद निकालेंगे।”

■ राहुल ने कहा, आपने मतदाता सूचियों से नाम काटने का अगर काम किया है तो वह देशद्रोह के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता।
■ राहुल ने इस संदर्भ में आगे कहा कि “वोटों की चोरी” को पकड़ने में चुनाव आयोग ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया, अतः हमने हमारे साधनों से गत छः महीने में जाँच की है, वोटों की चोरी के प्रकरण की तथा जो जानकारी हमें मिली है, वह विस्फोटक है, “एटम बम” की तरह, और वह धमका चुनाव आयोग को खत्म कर देगा।
■ राहुल ने कहा कि यह विस्फोटक जानकारी पूरी तरह संजोकर, एक सप्ताह में अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान उजागर करेंगे।
■ चुनाव आयोग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी के आरोप आधारहीन व गैरजिम्मेदाराना हैं। अतः चुनाव आयोग के अधिकारी राहुल गांधी के वक्तव्य को तवज्जो नहीं दें तथा जायज़ व पारदर्शी तरीके से अपना काम करते रहें।
विपक्ष के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी को शुरू में मध्य प्रदेश में संदेह हुआ था, और महाराष्ट्र में यह और पुख्ता

आयोग ने हमारा समर्थन या सहयोग नहीं किया, इसलिए हमने खुद के स्तर पर जाँच की। जो हमें मिला, वह एक परमाणु बम की तरह है; एक बार जब यह फट जाएगा, तो चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।”
गांधी ने कहा कि पार्टी ने गहराई और बारीकी से जाँच की। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को पूरे विस्तृत विवरण तक पहुँचने में लगभग छह महीने लगे, और निष्कर्षों का खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग किस तरह भाजपा के पक्ष में वोटों का हेरफेर कर रहा है।
इस तरह के तीखे हमले के बाद, बचाव की मुद्रा में आए चुनाव आयोग के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को “आधारहीन” और “गैर-जिम्मेदाराना” कहकर खारिज कर दिया। आयोग ने एक बयान में कहा, “दैनिक धमकियाँ और आधारहीन आरोपों के बावजूद, आयोग सभी चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-
वाशिंगटन, 1 अगस्त। अमेरिका में 1 अगस्त का दिन है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के नए शुल्क प्रभावी हो रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक नई सच्चाई से हतप्रभ नज़र आ रहा है।
शेयरों में व्यापक गिरावट आई है और नए आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।
अभी जारी किए गए जुलाई के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में केवल 73,000 नई नौकरियाँ जोड़ी गईं, जो अब तक की सबसे कम हैं। नई नौकरियों का सुजन, जो अर्थव्यवस्था की गति का एक प्रमुख पैमाना है, कुछ हद तक धीमा हो रहा था और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं।
अमेरिका आमूलचूल परिवर्तन की नई वास्तविकता के प्रति जाग रहा है। एक मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार का गढ़ रहा अमेरिका अब एक संरक्षणवादी (प्रोटेक्शनिस्ट)

■ अमेरिकावासियों को अब महँगी पड़ने लगीं वो वस्तुएँ, जो वो सदा से आसानी से सस्ते दामों में खरीदने के आदी हो गये थे।
■ उदाहरण के लिए, फ्रांस व जर्मनी की वाइन्स व स्विटज़रलैंड की लम्जरी घड़ियाँ।
■ अमेरिका की इकॉनमी भी “स्लोडाउन” के दौर में फँसती जा रही है। उदाहरण के लिए, जुलाई माह के आंकड़ों के अनुसार, केवल 73,000 नये रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जो कई दशकों में सबसे कम है।
■ भारत में निर्मित सामान लगभग गायब ही हो जाएगा, अमेरिका के मार्केट में। क्योंकि 25 प्रतिशत का टैरिफ व ऊपर से रूस से ऑयल खरीदने के कारण लगी पेनल्टी के कारण भारत का माल अन्य देशों की तुलना में महँगा हो जायेगा।
अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहा है। इसने न केवल अमेरिका के करीबी सहयोगियों को निराश किया है, बल्कि आम अमेरिकियों को भी निराश कर रहा है।
डॉनल्ड ट्रम्प के इस दावे, कि अन्य

सोमवार, बुधवार व गुरुवार को “इन्टर्न्स एंट्री” वर्जित होगी सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट में यह नई व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आग्रह पर की गई है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानून के इन्टर्न्स को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में प्रवेश से रोक दिया है, जो कि विविध मामलों की सुनवाई के दिन होते हैं।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध के बाद उठाया गया है।
एक विज्ञप्ति में कहा गया, “सक्षम अधिकारियों ने विविध प्रकार के केसों की सुनवाई के दिनों में, यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कानून के इन्टर्न्स के कोर्टरूम के अंदर प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

■ वरिष्ठ व प्रैक्टिसिंग वकीलों की शिकायत थी कि “इन्टर्न्स” की भारी भीड़ के कारण वकीलों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने में भी दिक्कत हो रही थी।
■ साथ ही इन प्रशिक्षु इन्टर्न्स की उपस्थिति के कारण न्यायालय में सभी सीटों भर जाती थीं तथा इन्टर्न्स आग्रह करने के बाद भी इन सीटों को खाली करने को तैयार नहीं होते थे तथा प्रैक्टिसिंग वकीलों को काफी समय खड़ा रहना पड़ता था।
को स्वीकार कर लिया है।”
कानून के इन्टर्न्स को नियमित सुनवाई के दिनों, यानी बुधवार और गुरुवार को कोर्ट परिसर और गलियारों में जाने की अनुमति होगी।
बार एसोसिएशन ने पहले भी कोर्ट को एक पत्र लिखकर कानून के इन्टर्न्स

अरुण चतुर्वेदी
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने



अरुण चतुर्वेदी

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने बड़ी
■ आने वाले दिनों में और राजनैतिक नियुक्तियों होने की संभावना है।
राजनीतिक नियुक्ति की है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है।
अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही और राजनैतिक नियुक्तियां होने की संभावना है। इसमें प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की संभावना है।

9 सितम्बर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा

चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 21 अगस्त तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1, अगस्त। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा।
यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पिछले महीने अचानक इस्तीफा देने के कारण जरूरी हो गया है। इस चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन भरने की अंतिम तारीख 21 अगस्त होगी।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
धनखड़ ने 21 जुलाई को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से लगभग दो साल पहले इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि केन्द्र सरकार, जिसका वे कभी

■ चुनाव आयोग के अनुसार, चुनाव में राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य मतदान कर सकेंगे, तथा एनडीए के दोनों सदनों में 422 सदस्य हैं तथा चुनाव जीतने के लिए 391 वोट की ही आवश्यकता है।
■ अतः एनडीए के उम्मीदवार का जीतना लगभग तय ही माना जा रहा है।
मजबूती के साथ बचाव किया करते थे, के साथ उनके रिश्तों में तनाव आने के साथ ही, दोनों के बीच परस्पर विश्वास भी समाप्त हो गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 की धारा 2 के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये, तो उस पद को “यथाशीघ्र” भरने के लिए चुनाव कराना आवश्यक है। नए निर्वाचित व्यक्ति को कार्यभार संभालने की तिथि से पूरे पाँच साल का कार्यकाल मिलेगा।
इस चुनाव में सत्तागढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) को स्पष्ट बढ़त हासिल है। लोकसभा की कुल 543 में से एक

मनोनीत सदस्य एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे।
इस प्रकार, सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कुल मिलाकर 422 सांसदों का समर्थन है।
एसआई भर्ती पेपर लीक : सरकार 4 अगस्त को पक्ष रखेगी
जयपुर, 1 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को रखी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश कैलाश चन्द व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हेरन्द्र नौल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती को रद्द करने की गुहार करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में यह प्रार्थना नहीं है कि भर्ती को लेकर राज्य सरकार कोई

छात्रसंघ चुनाव-राज्य सरकार 10 दिन में जवाब देगी

जयपुर, 1 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दस दिन का समय दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश
■ हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने समय माँगा।
छात्र जय राव की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अदालत में पेश हुए। उन्होंने मामले में जवाब पेश करने के लिए अदालत से दस दिन का समय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1974 से चला आ रहा, 75 बीघा जमीन की अवाप्ति का मामला अब निपटा

अदालत ने जे.एल.एन. मार्ग पर स्थित उक्त भूमि पर मूल पक्षकार के वंशजों का दावा खारिज किया और कहा कि राज्य सरकार ही भूमि का मालिकाना हक रखती है

जयपुर, (कांस)। राजस्थान हाई कोर्ट में झालाना ढूंगरी में स्थित एम.एन.आई.टी. के पास स्थित 75 बीघा 15 बिसवा जमीन के राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित 50 वर्ष से भी अधिक पुराने विवादित मामले में फैसला सुनाया है। मामले में न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की अदालत में उक्त भूमि पर मालिकाना हक जता रहे पक्षकार, जो स्व. त्रिलोकी नाथ साहनी के वंशज हैं, उनका दावा अदालत ने खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि टी. एन. साहनी के वंशज भूमि अवाप्ति के लिए राज्य

■ मूल पक्षकार के वंशजों को 1990 में सिविल जज ने राहत देते हुए आदेश दिये थे कि राज्य सरकार उक्त भूमि अवाप्त किये जाने की एवज में पक्षकारों को प्रति बीघा 40,000 रुपये तथा 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे।
■ अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर उक्त आदेश को रद्द कर दिया और यह भी आदेश दिए हैं कि यदि उक्त भूमि को अवाप्त करने और कब्जा लेने की प्रक्रिया में कोई आड़े आता है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है।

रू. प्रति बीघा पर किराये पर दी थी।
इस मामले के जिरह के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि बृजमोहन के निधन के बाद 1, नवम्बर, 1958 को सरकार ने सार्वजनिक कार्यों के लिए ले लिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में मूल पक्षकार त्रिलोकी नाथ साहनी ने 1960 में राजस्व के विभाग के सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष उक्त भूमि के सवाईचक्र घोषित किये जाने के खिलाफ आवेदन दायर किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि तहसीलदार ने

त्रिलोकीनाथ को घुसपैठिए नहीं मानते हुए, और माफीदार के पट्टे के साथ एक उक्त जमीन पर किरायेदार घोषित कर दिया, हालाँकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को राज्य सरकार के अपील पर खारिज कर दिया था, और अपीलेट अदालतों ने भी कलेक्टर के आदेश को सही माना।
विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि वर्ष 1979 में हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ ने आदेश पारित करें जिसके तहत सरकार को आदेश दिये गये थे, कि त्रिलोकीनाथ जिस भूमि के कब्जे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)